<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29/2021

दायर दिनांक: 06.07.2021

उनवान

1. नानूबाई बेवा रामलाल जाति धाकड नि. राजपुरा बुजुर्ग तहसील सुनेल

प्रार्थी

बनाम

1. मदनसिंह पि. मांगीलाल जाति राजपूत नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्रीमति फरजाना मिर्जा

अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री हुकुमचन्द कुमावत

<u>निर्णय</u>

दिनाक: 29.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की सं. 2069—72 के खाता सं. 488 ख.नं. 293 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसकी प्रार्थीया खातेदार टीनेन्ट है। प्रार्थीया की आराजी पर आने जाने का रास्ता आम रास्ते से दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर ख.नं. 301 की पूर्व दिशा की ओर से होता हुआ अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि खाता सं. 803 के ख.नं. 295 की पूर्व दिशा से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रार्थीया के खेत की ओर सुगमता से पहुँचता है जिसे परिशिष्ट ए नजरी नक्शा में लाल स्याही से ए से बी दर्शाया है जिसे अप्रार्थी सं. 1 ने फसल होकर बंद कर दिया है। पाईट बी से प्रार्थीया का खेत शुरू होता है। परिशिष्ट ए नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया से हमेशा उक्त रास्ते [illegible] लडाई झगडा करता रहता है, कभी आने जाने [illegible] उक्त रास्ता प्रार्थीया के खेत पर आने [illegible] है और यह रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज•)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया के कृषि कार्य के लिये आने जाने के लिए आवश्यक है। यह रास्ता सरल व सुगम रास्ता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास आने जाने का कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीया हमेशा से इसी रास्ते से अपने खेत पर आती जाती रही है। यही रास्ता प्रार्थीया के खेत पर आने जाने का सुगम रास्ता है। इस रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 ने फसल बोकर बंद कर दिया है और अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया को खेत पर आने जाने नहीं दे रहा है, लडाई झगडा कर रहा है। प्रार्थीया अपनी फसल की देखभाल करने नहीं जा पा रही है जिससे प्रार्थीया को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उक्त रास्ता अप्रार्थी सं. 1 ने बंद कर दिया है इसलिये प्रार्थीया अपने खेत पर आने जाने के रास्ते के लिये डीएलसी दर से राशि जमा कराकर धारा 251 ए रा. टी.एक्ट के तहत 12 फीट चौडा रास्ता ख.नं. 295 के पूर्व दिशा की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर परिशिष्ट ए में दर्शाये अनुसार ए से बी पाईट तक प्राप्त करना चाहती है। पाईट बी से प्रार्थीया का खेत शुरू होता है। पिछले कुछ समय से इसी रास्ते के संबंध में अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया से लडाई झगडा कर रहा है और बार बार आने जाने में रूकावट डाल रहा है, गाली गलौच कर रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के उक्त कृत्य से प्रार्थीया अपनी फसल की देखरेख करने के लिये खेत पर नहीं जा पा रही है। प्रार्थीया महिला है और वह अप्रार्थी सं. 1 से विवाद नहीं चाहती है व लडाई झगडा नहीं कर सकती है। प्रार्थीया को अपने खेत पर आने जाने के लिये 12 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है ताकि प्रार्थीया अपने खेत पर कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर ट्राली, बैलगाडी ला ले जा सके। अपने पालतू मवेशी ले जा सके व स्वयं भी बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक अपने खेत पर आ जा सके। इसलिये प्रार्थीया माननीय न्यायालय से प्रार्थना पत्र पेश कर रही है ताकि विवाद समाप्त हो जावे और प्रार्थीया के खेत पर आने जाने का रास्त हमेशा हमेशा के लिये राजस्व नक्शे में दर्जहो जावे। प्रार्थीया महिला है। वह लडाई झगडा विवाद नहीं चाहती है इसलिये प्रार्थीया डीएलसी दर से रास्ता लेना चाहती है क्योंकि प्रार्थीया की आराजी पर आने जाने का एकमात्र सुगम सरल उपयोग उपभोग का हमेशा से यही रास्ता है जिसे अप्रार्थी सं. 1 ने बंद कर दिया है। उक्त रास्ते के विवाद के निपटारे हेतु यह आवेदन है कि श्रीमान तहसीलदार साहब रिपोर्ट मंगवाने की कृपा करे कि तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

साहब मौके पर जाकर रास्ते के निशान सुनिश्चित करे व राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में रास्ते को ईंडीकेट करे ताकि प्रार्थीया को डीएलसी दर से रास्ता मिलने में आसानी रहे। प्रतिवादी सं. 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को लैण्ड रेवेन्यु होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया का माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय में पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को उसके खेत आराजी में खाता सं. 488 खनं. 293 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम सुनेल में स्थित है पर आने जाने का रास्ता ख.नं. 301 की पश्चिम दिशा की ओर से होता हुआ अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि खाता सं. 803 ख.नं. 295 की पूर्व दिशा से दक्षिण उत्तर की ओर प्रार्थीया के खेत पर सुगतमा से पहुँचता है जिसे परिशिष्ट ए नजरी नक्शा में ए से बी रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। बी पाईट से प्रार्थीया का खेत शुरू होता है और अप्रार्थी सं. 1 ने ए से बी पाईट तक के खेत की मेड के रास्ते को बंद कर दिया है। उक्त ए से बी पाईट तक 12 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीया को डीएलसी दर दिलवाया जाने की कृपा करे व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय प्रार्थीया के खेत पर आने जाने के रास्ते को लेकर उचित समझे व बहस प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री हुकुमचन्द कुमावत ने वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र में जो रास्ता होना बताती है ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जहां तक सुगमता शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रार्थीया ने गलत लिखा है। रास्ता पहुँचता ही नहीं है मौजूद नही तो सुगमता का कोई मायने नही है। सभी कथन काल्पनिक है। परिशिष्ट ए नजरी नक्शा की जानकारी अप्रार्थी सं. 1 को नहीं है। धारा 251 एल.आर.एक्ट का दुरूपयोग करना चाहती है। धारा 251 ए का [illegible] खातेदार पडौस के खातेदार की कृषि भूमि में [illegible] डीएलसी दर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 16:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान कर सके। विषम परिस्थितियों में इस धारा के अन्तर्गत लाभ प्राप्त होता है। प्रार्थीया के पास रास्ता मौजूद है। चालू है, उपयोग में आ रहा है। इस कारण प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं है। प्रार्थीया काश्त नहीं करती है। प्रार्थीया के परिवार के पुरुष सदस्य काश्त करते है। महिला खातेदार होने के रा.टी.एक्ट में अतिरिक्त प्रावधान का वर्णन नहीं है। महिला व पुरुष हेतु कानून समान है। प्रार्थीया के पास स्वयं की खातेदारी की भूमि में रास्ता मौजूद है। इस कारण धारा 251 ए रा.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नहीं है। विशेष कथन में निवदन किया कि प्रार्थीया के ख.नं. 293 में जाने का रास्ता काल्याखेडी मार्ग से ख.नं. 301 की पूर्व दिशा की मेड पर होकर प्रारम्भ होता है जो उत्तर में जाकर पश्चिम में घूमता है तथा वहां से ख.नं. 304 की पूर्वी मेड पर होकर 294 की पूर्वी मेड पर सीधा उत्तर दिशा में प्रार्थीया के ख.नं. 293 में प्रवेश होता है। यह रास्ता चालू है तथा सही रास्ते का उपयोग पूर्व खातेदार भी करते रहे है जिसे अप्रार्थी ने परिशिष्ट अ नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकित किया है। इस परिशिष्ट अ नजरी नक्शा में नीली स्याही से अंकित किया गया रास्ता प्रार्थीया नया बनाना चाहती है जिसका हक प्रार्थीया को धारा 251 ए रा.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र में प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त एक रास्ता काल्याखेडी चलकर ख.नं. 297 के पूर्व दिशा में उत्तर की ओर सीधा चलने पर ख.नं. 292 व 291 के मध्य पूर्व से पश्चिम में होकर प्रार्थीया के ख.नं. 293 में पहुँचता है। इस रास्ते का उपयोग भी प्रार्थीया व उसके परिवार के सदस्य निरन्तर करते रहे है। यही रास्ता पूर्व खातेदारान का भी रहा है। यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में ख.नं. 293 है जिसका उपयोग भी प्रार्थीया करती है। इस प्रकार प्रार्थीया के पास दो रास्ते चालू उपयोगी है। इस कारण प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। प्रार्थीया व उसका परिवार अप्रार्थी से वैमनस्यता रखता है। अप्रार्थी गरीब विकलांग व्यक्ति है इसके विपरीत प्रार्थीया धनाढय परिवार की है इस कारण अप्रार्थी की भूमि में नया रास्ता धारा 251 ए रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत में धन बल पर प्राप्त करना चाहते है जो विधि विरूद्ध है। इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

3. पेशकार सरकार से मौका रिपोर्ट की गई। तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2022/626 दिनांक 21.08.2022 एवं पत्रांक 290 दिनांक 15.03.2024 से जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है

(1) मुताबिक प्रार्थना पत्र नन्दूबाई पत्नि रामलाल जाति धाकड़ नि. राजपुरा बुजुर्ग अपने खाते की आराजी ख.नं. 293 रकबा 1.1761 है. भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहती है।

(2) मुताबिक मौका स्थित ग्राम सुनेल की आराजी ख.नं. 488 आम रास्ता है। आम रास्ते से होते हुये ख.नं. 301 की पूर्वी मेड से होते हुये दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ ख.नं. 295 तक खातेदारी भूमि में होते हुये पहुँचता है। जो कि वर्तमान में मौके पर चालू है जिसे नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया है।

(3) प्रार्थीया नन्दूबाई अपनी आराजी ख.नं. 293 पर पहुँचने हेतु ख.नं. 295 जो कि मदनसिंह पि. मांगीलाल राजपूत नि. सुनेल की खातेदारी में दर्ज है की पूर्वी मेड पर 12 फीट चौडाई का रास्ता चाहती है। तथा ख.नं. 295 की पूर्वी मेड की लम्बाई 734 फीट है यानि रास्ते का कुल क्षेत्रफल 8808 वर्ग फीट अर्थात 0.0818 हैक्टर होता है।

(4) प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी खाता सं. 488, 803, 581, 931 एवं आधार कार्ड छायाप्रति प्रस्तुत किया।

4. अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम सुनेल स्थित प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी में ख.नं. 293 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व्यवस्था के तौर पर वर्षो से ख.नं. 301 की मेड के सहारे होते हुए ख.नं. 295 की मेड के सहारे आते जाते रहे है। ख.नं. 301 में होकर आज भी कच्चा रास्ता बना हुआ है जिसमें होकर प्रार्थी व अप्रार्थी व अन्य खातेदार आ जा रहे है लेकिन कुछ समय पूर्व से अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी ख.नं. 295 की पूर्वी मेड के सहारे दक्षिण क्षेत्र की दिशा की ओर बने व्यवस्तार्थ रास्ते को बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी की अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी ख.नं. 293 तक पहूँच बंद हो गई है और प्रार्थी का खेत प्रायः पडत रह जाता है। यदि प्रार्थी को अपनी आराजी तक पहूँच हेतु नया रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थी की भूमि पडत रह जावेगी और प्रार्थी के लिये परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। अतः रास्ता प्रार्थी की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थी 12 फीट चौडे रास्ते के रूप मे अप्रार्थी की आने वाली भूमि का डीएलसी दरो से दूगुनी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ख.नं. 295 की पूर्व मेड के सहारे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ए में लाल स्याही से अंकन अनुसार 12 फीट चौडा रास्ता दिया जावे।

5. अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस का पूरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी की आराजी ख.नं. 293 तक पहूँच हेतु वैकल्पिक रास्ता ख.नं. 297 से होकर ख.नं. 292 से होता हुआ पहूँच रहा है। प्रार्थी वर्षो से इसी रास्ते को पहूँच मार्ग के रूप में उपयोग करता रहा है और यही रास्ता सबसे लघुत्तम पहूँच मार्ग है लेकिन प्रार्थी ने अपनी सुविधा के लिए ख.नं. 295 से होकर रास्ता चाहा है। धारा 251 ए में सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट अ में वैकल्पिक रास्ते को लाल स्याही से अंकित किया है। अतः प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने और प्रार्थी द्वारा सुविधाजनक रास्ता चाहे जाने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

6. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः तर्क किया गया कि ग्राम सुनेल की आराजी ख.नं. 297 रास्ता न होकर अन्य लोगो की खातेदारी की भूमि है और इसमें होकर कोई भी रास्ता नहीं बना हुआ है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लाल स्याही से जो वैकल्पिक मार्ग दिखाया है वह गलत है और ग्राम सुनेल की राजस्व सीमा में न होकर दूसरे राजस्व ग्राम काल्याखेडी में अंकित दर्शाया है। प्रार्थी सुविधा के लिए रास्ता न चाहकर नितान्त आवश्यकता हेतु रास्ता चाहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

7. प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ग्राम सुनेल की जमाबंदी सं. 2069–72, 2073–76, वादग्रस्त आराजी का नक्शा दिनांक 04.07.2021, ग्राम सुनेल का नक्शा लट्ठा परिशिष्ट ए एवं प्रार्थी का शपथ पत्र दिनांक 05.07.2021 पेश किया गया।

8. अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ग्राम सुनेल का अप्रमाणित नजरी नक्शा परिशिष्ट अ एवं न्यायिक दृष्टांत गिरधारी व अन्य बनाम सुलतन राम व अन्य आर.आर.टी. 2017(1) पेज 424 तथा जगदीश बनाम केसाराम व अन्य 2021(2) आर.आर.टी. 1288 पेश किये गये है।

9. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि ग्राम सुनेल की आराजी ख.नं. 486 मुख्य सडक/आम रास्ता है। मुख्य सडक से एक कच्चा रास्ता ख.नं. 301 की पूर्वी मेड से होते हुये दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ ख.नं. 295 तक खातेदारी भूमि में होते हुये पहुँचता है जो कि वर्तमान में मौके पर चालू है। प्रार्थीया नन्दूबाई को अपनी आराजी ख.नं. 293 पर पहुँचने हेतु अप्रार्थी मदनसिंह की आराजी ख.नं. 295 की पूर्वी मेड से चाहे गये रास्ते की 295 की पूर्वी मेड की लम्बाई संलग्न नक्शे अनुरूप 734 फीट है। अतः 12 फीट चौडे एवं 734 फीट लम्बे इस रास्ते का कुल क्षेत्रफल 8808 वर्ग फीट अर्थात 0.0818 हैक्टर होता है। भूमि की डीएलसी दर उपपंजीयक कार्यालय सुनेल से ली जा सकती है।

10. अभिभाषकगण उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं पेश न्यायिक दृष्टांतो का सम्मान पूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

(i) रास्ते की अति आवश्यकता होना– प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सुनेल की जमाबंदी संवत 2069–72 एवं [illegible] सं. 581 के खसरा नम्बर 293 रकबा 1.1761 है प्रार्थी के [illegible] रिकार्ड है जबकि ख.नं. 295 रकबा 1.8590 है, [illegible] अप्रार्थी मदनसिं[illegible] खाते दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने बहस के दौरान [illegible] के खेत तक पहूँच

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नही है। ग्राम सुनेल के वादग्रस्त आराजी के आपस पास के खसरो के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की आराजी पर पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। पैरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट पत्र कमांक राजस्व/2022/626 दिनांक 01.08.2022 एवं पत्रांक राजस्व/2024/290 दि. 15.03.2024 व संलग्न नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी ख0नं0 293 तक पहुंच हेतु मुख्य सडक ख.नं. 486 से कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी सुविधा के लिए रास्ता चाह रहा है लेकिन प्रार्थी के खेत तक रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध होने के संबंध में अप्रार्थी द्वारा भी कोई कथन/साक्ष्य पेश नहीं किया है। **यह तथ्य सही है कि धारा 251 ए के अधीन किसी भी काश्तकार को उसकी सुविधा के लिए रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत गिरधारी व अन्य बनाम सुलतन राम व अन्य आर.आर.टी. 2017(1) पेज 424 में भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिनिर्धारित किया है कि सुविधाजनक रास्ते की आड में नया रास्ता नहीं बनाया जा सकता है।** अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी दोनो ही इस बात पर सहमत है कि मुख्य सडक से ख.नं. 301 की मेड के सहारे होकर ख.नं. 295 तक मौके पर रास्ता बना हुआ है और चालू भी है। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भी ख.नं. 301 से होकर पूर्वी मेड के सहारे अप्रार्थी मदनसिंह के ख.नं. 295 तक रास्ता प्रचलित है। ख.नं. 301 अन्य की खातेदारी में दर्ज है। उभयपक्ष द्वारा पेश परिशिष्ट ए एवं परिशिष्ट अ व लटठा नक्शा के अवलोकन से यह भी साबित है कि अप्रार्थी मदनसिंह की आराजी ख.नं. 295 तक भी पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। अप्रार्थी की पहूँच हेतु ख.नं. 301 की पूर्वी मेड के सहारे बने प्रचलित रास्ते का उपयोग कर रहा है। प्रार्थी ने सशपथ कथन किया है कि अप्रार्थी ख.नं. 295 से होकर बने व्यवस्तार्थ रास्ते को बंद करने व लडाई झगडा पर आमदा है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती [illegible] के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को [illegible] पडत रहने से काश्तकार के लिए [illegible] है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(ii) <u>वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u> – अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खेत तक पहूँच हेतु मुख्य सडक से ख.नं. 297 के सहारे होता हुआ ख.नं. 292 से प्रचलित रास्ता उपलब्ध है और प्रार्थी उसकी का उपयोग करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा पेश ख.नं. 297 की जमाबंदी अनुसार जाहिर है कि ख.नं. 297 रास्ता न होकर 11 लोगो की सहखातेदारी में दर्ज है। ख.नं. 297 के बाद राजस्व ग्राम सुनेल की राजस्व सीमा समाप्त हो जाती है। ख.नं. 297 से लगवा दूसरे राजस्व ग्राम में होकर मौके पर कोई रिकार्डेड या प्रचलित रास्ता है या नहीं – यह उस समीपवर्ती राजस्व ग्राम के राजस्व रिकार्ड/साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है। तहसीलदार सुनेल की रास्ते बावत् तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022 एवं दिनांक 15.03.2024 में भी ऐसे किसी वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख नहीं है। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी व अप्रार्थी का ख.नं. 301 की पूर्वी मेड से होकर ख.नं. 295 व 293 तक पहूँचना और मौके पर रास्ता प्रचलित होना अंकित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं अप्रार्थी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं करने के आधार पर प्रार्थी की आराजी ख.नं. 293 तक पहूँच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना साबित नहीं है।

अप्रार्थी द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत गिरधारी व अन्य बनाम सुलतन राम व अन्य आर.आर.टी. 2017(1) पेज 424 एवं जगदीश बनाम केसराराम व अन्य 2021(2) आर.आर.टी. 1286 में भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिनिर्धारित किया है कि सुविधाजनक रास्ते की आड में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु वैकल्पिक मार्ग [illegible] साबित नहीं है और इसलिए उक्त न्यायिक [illegible] परिस्थियों पर चस्पा नहीं होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(iii) सबसे लघुतम रास्ता होना– पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पेशकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022 एवं दिनांक 15.03.2024 के अनुसार ख.नं. 295 तक मौके पर प्रचलित रास्ता होने से प्रार्थी की आराजी ख.नं. 293 तक लघुतम रास्ता ख.नं. 295 से होकर होगा जिसकी लम्बाई 734 फीट है। प्रार्थी द्वारा 12 फीट चौड़े रास्ते का अनुतोष चाहा है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ता दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का न्यनूतम क्षेत्रफल 12 गुणा 734 यानि 8808 वर्ग फीट यानि 0.0818 है. होगा।

(iv) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान– प्रार्थी अपनी आराजी ख0नं0 293 तक पहुंच हेतु अप्रार्थी की आने वाली भूमि रकबा 8808 वर्ग फीट का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 01.08.2022 एवं दिनांक 15.03.2024 के अनुसार ग्राम सुनेल की आराजी ख0नं0 295 से होकर प्रार्थी के ख.नं. 293 तक पहूँच हेतु नया रास्ते के संबंधस में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन एवं विप्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की आराजी ख.नं. 295 से होकर पूर्वी मेड के सहारे प्रार्थी की आराजी ख.नं. 293 तक [illegible] लम्बा यानि 8808 वर्ग फीट यानि 0[illegible] दरो से क्षतिपूर्ति राशि का भुग[illegible] अप्रार्थी सं. 1 को [illegible] जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के [illegible] का उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

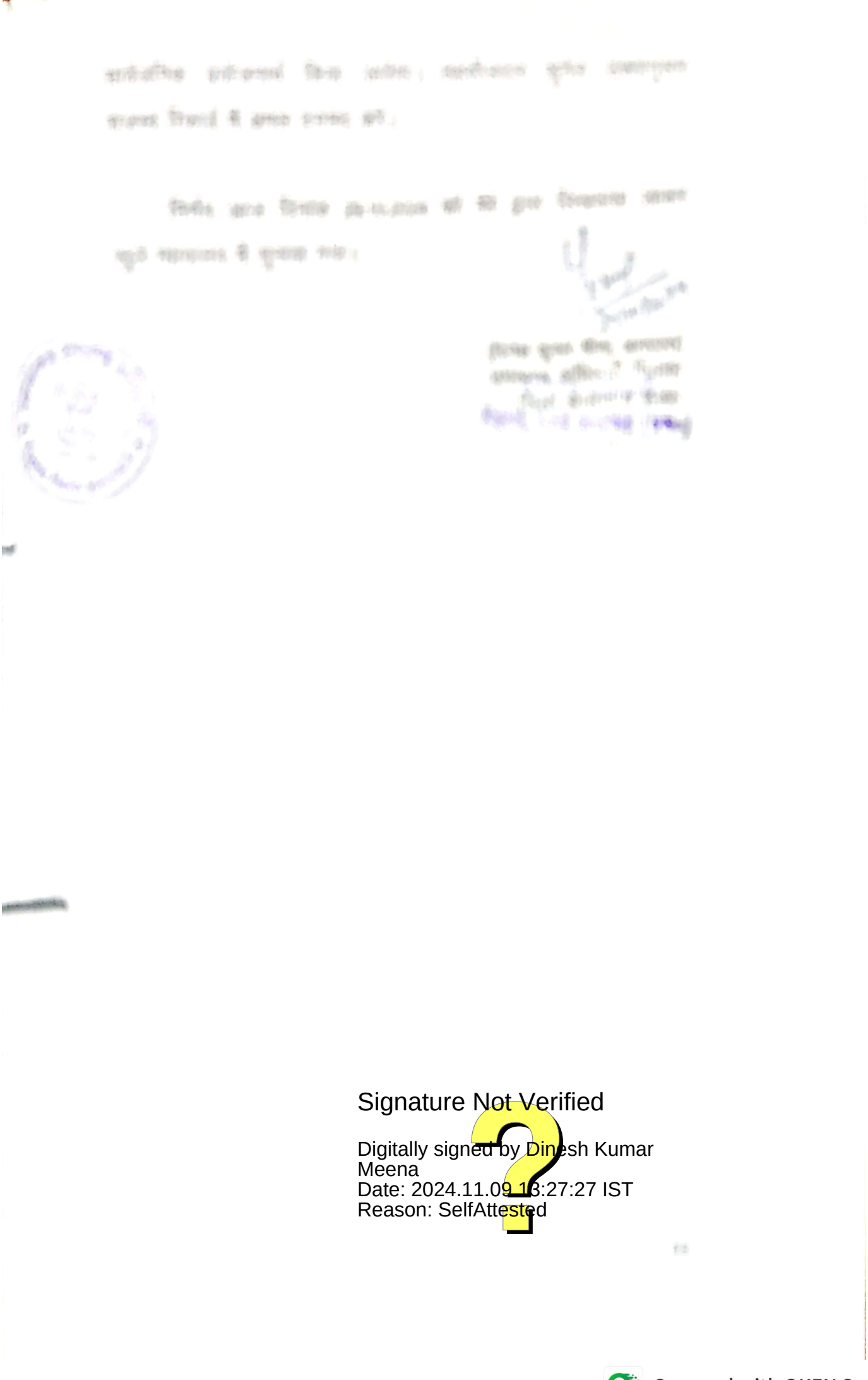

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.11.09 13:27:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner